संख्या-791/2017/1962/22-2-2017-17(22)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी होरीलाल पुत्र श्री देव सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29116/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-22-06-2017) दिनांक-11-08-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी होरीलाल पुत्र श्री देव सिंह, ग्राम-बहवलपुर, थाना-कम्पिल, जनपद- फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश व विवाद के कारण दिनांक 22-07-1990 को सायं 06:00 बजे अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर सिंह के घर में घुस कर बन्दूक से फायर किया, पकड़ कर थोड़ी दूर ले जाकर गोली मारकर व दोनों पैर पकड़ कर चीर कर, सिर काट दिया तथा लाश सूखी लकड़ियों पर रखकर आग लगा दी। लाश जलकर झुलस गयी और कटे हुए सिर को लेकर नदी की ओर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-346/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 149, 148, 201 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 04.10.1999 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या-2600/1999 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-08-2001 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2017 तक 18 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 06 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश व विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 22-07-1990 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर सिंह के घर में घुस कर बन्दूक से फायर कर, पकड़ कर थोड़ी दूर ले जा कर गोली मारकर, दोनों पैर पकड़ कर चीर कर, सिर काट दिया तथा लाश सूखी लकड़ियों पर रखकर आग लगा कर निर्दयता पूर्वक हत्या करने का वीभत्स जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 52 वर्ष 10 माह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लगभग है, बन्दी के अपराध करने का अवसर होने, व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी होरी लाल पुत्र श्री देव सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-3598(एम0बी0)/2016 होरीलाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2014 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी होरी लाल (बन्दी संख्या-14874) पुत्र श्री देव सिंह निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-791/2017/1962(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-791/2017/1962/22-2-2017-17(22)/2004

दिनांक 28 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी होरीलाल पुत्र श्री देव सिंह, ग्राम-बहवलपुर, थाना-कम्पिल, जनपद- फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश व विवाद के कारण दिनांक 22-07-1990 को सायं 06:00 बजे अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर सिंह के घर में घुस कर बन्दूक से फायर किया, पकड़ कर थोड़ी दूर ले जाकर गोली मारकर व दोनों पैर पकड़ कर चीर कर, सिर काट दिया तथा लाश सूखी लकड़ियों पर रखकर आग लगा दी। लाश जलकर झुलस गयी और कटे हुए सिर को लेकर नदी की ओर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-346/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 149, 148, 201 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 04.10.1999 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या-2600/1999 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-08-2001 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2017 तक 18 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 06 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश व विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 22-07-1990 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रनवीर सिंह के घर में घुस कर बन्दूक से फायर कर, पकड़ कर थोड़ी दूर ले जा कर गोली मारकर, दोनों पैर पकड़ कर चीर कर, सिर काट दिया तथा लाश सूखी लकड़ियों पर रखकर आग लगा कर निर्दयता पूर्वक हत्या करने का वीभत्स जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 52 वर्ष 10 माह लगभग है, बन्दी के अपराध करने का अवसर होने, व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी होरी लाल पुत्र श्री देव सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in